पत्रांकः– 14 / वि०को० / वि०स०महा० / 02 / 16.......
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

भरत राम,
उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

के0एस0डी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक ...../...../2016

विषयः– वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैरयोजनान्तर्गत स्वीकृत सहायक अनुदान राशि की विमुक्ति के उपरान्त अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– वि०को० / वि०स०महा० / 40 / 12 –70 दिनांक 09.09.2015 द्वारा संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2015–2016 में गैरयोजनान्तर्गत स्वीकृत रूपये 1,09,56,20,000/– (एक अरब नौ करोड़ छप्पन लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की राशि में से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं के0एस0डी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से महाविद्यालयवार सूची के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 12,11,17,600/– (बारह करोड़ ग्यारह लाख सतरह हजार छः सौ) रूपये की विमुक्ति इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका 02 से 08 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन राज्य के संबंधित विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा भुगतान करने के पूर्व सुनिश्चित किया जायगा।

विश्वविद्यालयवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्नवत हैः–

(क) शैक्षणिक सत्र 2008–2011, के लिये दो परंपरागत विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जाने वाली अनुदान राशि निम्नवत हैः–

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र 2008–11 में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि
i.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	11,43,74,200/–
ii.	के0एस0डी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	17,42,000/–
	कुल योग (करोड़ में):–	**11,61,16,200/–**

(ख) शैक्षणिक सत्र 2007–10 के लिये एक विश्वविद्यालय को दी जाने वाली बकाया राशि निम्नवत् हैं:–

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	दी जाने वाली बकाया राशि
i	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	50,01,400/-

(ग) i.शैक्षणिक सत्र 2008–11 में दो विश्वविद्यालयों के लिये दी जाने वाली राशि :– 11,61,16,200/–

ii.शैक्षणिक सत्र 2007–10 के लिये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को दी जाने वाली बकाया राशि :– 50,01,400/–

कुल योग:–12,11,17,600/–

(बारह करोड़ ग्यारह लाख सतरह हजार छः सौ)

विश्वविद्यालयवार एवं महाविद्यालयवार देय अनुदान की राशि से संबंधित विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

1. सर्वप्रथम सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व यह सुनिशचित करना आवश्यक होगा कि जिन शैक्षणिक सत्रों के लिये अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का संबंधन राज्य सरकार से प्राप्त हो। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के तदर्थ शासी निकाय गठन की शक्ति भी प्राप्त है।

2. विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना है कि पूर्व में विमुक्त की गयी अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण--पत्र संबंधित महाविद्यालय द्वारा समर्पित किया जा चूका है। अगर किसी भी संबद्ध महाविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया गया है, तब ऐसी स्थिति में महाविद्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी।

3. विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। यह महत्वपूर्ण है कि अनुदान का वितरण किसी भी हालत में उपर्युक्त शर्त्तों के उल्लंघन कर नही किया जाय। अनुदान की राशि के समुचित वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

4. विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विमुक्त किये गये अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण--पत्र संलग्न प्रपत्र "क" एवं "ख" में एक माह के अन्दर महाविद्यालयों से प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी एक प्रति अविलम्ब शिक्षा विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

5. अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2015 में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा तथा इन कर्मियों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायगा। इसके लिये महाविद्यालय द्वारा "संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान" नामक अलग खाते में राशि रखी जायगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा। अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि कम विमुक्त की गयी है। जितनी राशि कम है, उसी के अनुपात में राशि एक सप्ताह के अन्दर संबंधित महाविद्यालय के खाते में ECS/RTGS के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाय।

6. महाविद्यालयों को राशि विमुक्त/वितरण करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों के अन्दर निर्धारित प्रपत्र BTC Form-42 A में उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

7. वर्त्तमान में स्वीकृत एवं विमुक्त अनुदान राशि का किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जायगा। संबंधित महाविद्यालयों को भुगतान के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायगा कि विभागीय संकल्प एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–

14/वि०को०/वि०स०महा०/40/12 के पत्रांक 70 दिनांक 09.09.2015 की कंडिका 02 से 08 में वर्णित प्रावधान का अनुपालन कर ही स्वीकृत सहायक अनुदान का भुगतान किया गया है।

8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 14/वि०को०/वि०स०महा०/40/12 के पत्रांक 70 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी करने हेतु अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

9. विभागीय पत्र सं०–वि०को०/वि०स०महा०/40/12 के पत्रांक 70 दिनांक 09.09.2015 के आलोक में विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को स्टेट बैंक में संधारित खाता में राशि स्थानांतरित की गयी है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अधिकार होगा कि इस स्वीकृत एवं विमुक्त अनुदान राशि का अंकेक्षण करें।

11. पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

विश्वासभाजन

ह०/–

(भरत राम)

उप सचिव

ज्ञापांकः– 14/वि०को०/वि०स०महा०/02/16.......1519......, पटना, दिनांक 22/12/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना/संबंधित विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रभारी वित्त रहित कोषांग, शिक्षा विभाग/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/लेखापाल (उ०शि०), शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/16

उप सचिव

22-12-16